मानपरजडा

पटवारी हल्का राजपुर बड़ा V/S गोगा वगैरा

मु.नं. 84/2022 प्रवेश तिथि 4-10.22 निर्णय तिथी 27-6.23

27-6.23 आज पत्रावली पेश हुई। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है। कि गैर सायल गोगा पुत्र मेह, सकरा पुत्र गोगा जाति बंजारा निवासी राजपुर बड़ा ने ग्राम राजपुरबड़ा के आराजी खसरा नम्बर 244/2303 रकबा 14.47 है भूमि चरागाह मे 0.02 है भूमि पर पक्का मकान व 0.02 है पर तिरपाल से तम्बू बनाकर सम्वत 2079 मे अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायलान के विरुद्ध प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये समन नोटिस क्रमांक 1973 दिनांक 4-10-22 से तलब किया गया। गैर सायलान की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण मे माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ़ के यहां स्थगन आदेश दिनांक 12-12-22 तक है। नकल आदेशिका भी पेश की गई।

अत प्रकरण से सम्बन्धित एक पत्रावली पूर्व से दर्ज मिसल नं. 112/2020 दर्ज होकर जेरकार है। शामिल पत्रावली की गई। जिसमे माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ़ के यहा से स्थगन आदेश है शामिल पत्रावली की गई। गैर सायलान उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध मे पुन नोटिस जारी कर तलब किया गया गैर सायल की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर सायल घुमन्तु जाति से है। एव करीब 50 वर्षो से मकान बनाकर निवास कर रहे है। एवं गरिब व्यक्ति है। जवाब शामिल पत्रावली किया गया लेकिन पूर्व में माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ़ के यहा से विचाराधीन वाद मे वर्तमान मे स्थगन बाबत कोई आदेशिका पेश नही की गई।

तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

लगातार—

जाहिर है कि गैर सायल को अब किसी भी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः गैर सायलान को आराजी खसरा नम्बर 244/2303 रकबा 0.03 है. भूमि चारागाह से बेदखली के आदेश दिये जाते है। एवं शास्ती-स्वरूप 1=00 रुपये का 50 गुणा 50/- पचास रुपये कायम की जाती है। भू अ० निरीक्षक, पटवारी हल्का राजपुर(बड़ा) को बेदखली, पेनल्टी वसूली हेतु लिखा जावे, तहसील राजस्व लेखाकार को राजस्व मिसों में मांग कायमी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27-6-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 37 पर चा.पे. 50/-
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार